



# भारत स्काउट्स एवं गाइड्स

बेहतर भारत निर्माण की ओर

राष्ट्रीय मुख्यालय

पता: लक्ष्मी मजूमदार भवन, 16, महात्मा गाँधी मार्ग, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

वेबसाइट: [www.bsgindia.org](http://www.bsgindia.org) ईमेल आईडी: [info@bsgindia.org](mailto:info@bsgindia.org) दूरभाष: +91-11-23370126, 23378667

प्रति,

समस्त राज्य सचिव

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स राज्य संघ

भारतीय संघ

परिपत्र संख्या : 84/2021

दिनांक : 08 जुलाई, 2021



**विषय :-अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के सदस्यों की प्रतिभागिता के सम्बन्ध में ।**

महोदय/महोदया,

आपको यह सूचित करना है कि कोविड-19 महामारी ने सीमाओं से परे सोशल मीडिया पर आभासी स्काउटिंग/गाइडिंग गतिविधियों के रास्ते खोल दिए हैं एवं विश्व स्काउट संगठन तथा विश्व गाइड संगठन की युवा व्यस्तता एवं प्रतिधारण रणनीति स्काउट्स एवं गाइड्स को एक दूसरे के समीप लायी है जो वैश्विक स्तर पर साँस्कृतिक आदान प्रदान एवं मित्रता के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

यह देखा गया है कि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के कुछ सदस्य राज्य/राष्ट्रीय मुख्यालय के समर्थन के बिना अन्य राष्ट्रीय स्काउट संगठनों एवं विश्व स्काउट संगठन/विश्व गाइड संगठन द्वारा आयोजित आधिकारिक कार्यक्रमों जैसे संगोष्ठी, सम्मेलन इत्यादि में निरन्तर भाग ले रहे हैं जो कि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के लिए एक गम्भीर चिंता एवं शर्मिंदगी का विषय है। यह सही समय है कि हमें भविष्य में कुछ व्यक्तियों द्वारा इसकी पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की छवि को धूमिल करें।

एपीआरओ भाग-1, अध्याय-7, नियम संख्या-67-अन्तर्राष्ट्रीय दौरे और भागीदारी: नियम इस प्रकार है "गृह राज्य मुख्यालय और राष्ट्रीय मुख्यालय बी पूर्व स्वीकृति के बिना भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का कोई भी सदस्य विदेशों में किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, शिविर में प्रतिभाग या प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। उसके पास राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा जारी किया गया अन्तर्राष्ट्रीय परिचय पत्र होना चाहिए।"

यह भी पाया गया है कि कुछ सदस्य स्वनिर्मित स्काउट संगठनों के सदस्य बन रहे हैं या उनमें सम्मिलित हो रहे हैं जो आन्दोलन के हितों के लिए हानिकारक है एवं संस्था के नियमों के विरुद्ध है। राज्य/जिला संघों से अनुरोध है कि ऐसे तथाकथित स्काउट संगठन जिन्हें न तो भारत स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा मान्यता प्राप्त है और न ही विश्व स्काउट संगठन या विश्व गाइड संगठन द्वारा, के सदस्य न बनने हेतु उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करें अन्यथा संस्था के नियम संख्या-5, 56, 96 एवं 139 में परिकल्पित प्रावधानों के अनुसार भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की सदस्यता पर पुर्नविचार किया जाएगा एवं उचित कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य संघों से अनुरोध है कि कृपया वे ऐसे कुछ व्यक्तियों पर नजर रखें, जिन्हें राज्य या राष्ट्रीय मुख्यालय के समर्थन के बिना आभासी वैश्विक कार्यक्रमों में नियमित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय अतिथि बनने की आदत है। संगठन के कुछ व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की अनियमितताओं को तत्काल रोका जाना चाहिए।

विश्व स्काउट संगठन एवं विश्व गाइड संगठन द्वारा आयोजित ओपन नॉलेज वेबिनार एवं आभासी कार्यक्रमों की गई श्रृंखलाएं हैं जिनमें इच्छुक सदस्य खुले पंजीकरण के अन्तर्गत भाग ले सकते हैं। ऐसे मामले में, व्यक्ति को समर्थन की आवश्यकता नहीं है।

सभी राज्य संघों से अनुरोध है कि वे इस चिंताजनक विषय को जमीनी स्तर तक पहुँचाए एवं यह सुनिश्चित करें कि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के नाम पर कोई भी व्यक्ति विश्व स्काउट संगठन एवं विश्व गाइड संगठन द्वारा आयोजित आधिकारिक वैश्विक कार्यक्रमों में प्रतिनिधित्व न करें या आन्दोलन के हितों के लिए हानिकारक गतिविधियों में सम्मिलित न हो।

आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सधन्यवाद।

भवदीय,



(राज कुमार कौशिक)  
निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. समस्त राष्ट्रीय मुख्यालय पदाधिकारी, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, राष्ट्रीय मुख्यालय।
2. अध्यक्ष/सचिव, रेलवे स्काउट एवं गाइड बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016।
4. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, इंस्टीट्यूशनल एरिया, बी-15, सेक्टर-62, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201309।
5. समस्त जिला सचिव, दम्माम, रियाद, मस्कट एवं जमीयत यूथ क्लब।
6. समस्त सहायक निदेशक, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स को आवश्यक कार्यवाही हेतु।